



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 76-अ0प्र0(2अ) / पा0का0लि0 / 2013

दिनांक: 31 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ताओं (वै0 एवं यां0) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नति किया जाता है तथा स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै0 एवं यां0) के पद पर नियुक्ति हेतु स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार निगम को आवंटित/तैनात किया जाता है:-

क्र. सं0	नाम/अभियन्ता संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (वै0एवंयां0) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आवंटित निगम/तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री सुभाष मोहन मित्तल 76397, मुजफ्फरनगर 31.08.2014	अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा	प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा को आवंटित।
2.	श्री प्रशान्त मेहरोत्रा 76406, रामपुर, 31.10.2014	अधीक्षण अभियन्ता नियोजन, शक्ति भवन, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ।
3.	श्री शमीम अहमद 76413, गाजीपुर, 30.06.2014	अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध) मुख्य अभियन्ता, लेसा, लखनऊ	प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्ध्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, को आवंटित।

2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3— आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्तीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4— उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्युक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6— उपरोक्त आदेश दिनांक 01-11-2013 (पूर्वान्ह) अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगे।

7— उपरोक्त अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नति किया जाना है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताकम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 76(1)अ0प्र0(2अ) / पा0का0लि0 / 2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0वर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्र/मध्यान्ध्र/पूर्वान्ध्र/पश्चिमान्ध्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 5— समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7— अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

अक्षा से,

 (संजीव शुक्ला)
उप सचिव